न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—145/2013/225 (2013/00035)

1. गफूर पुत्र जमाल,
2. इब्राहिम पुत्र उस्मान,
3. रफीक पुत्र गफूर,
4. लतीफ पुत्र गफूर,
5. शब्बीर पुित्र गफूर,

समस्त जाति मुसलमान (जेड) निवासी छोटा मौहल्ला, मस्जिद के पास, सरवाड़, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. बशीर पुत्र अल्लानूर, जाति मुसलमान (टांक) निवासी सरवाड़, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 12.10.2012 अंतर्गत प्रकरण संख्या 152/2009.

उपस्थितः—

1. श्री समीर अहमद खान, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 25.08.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के आदेश दिनांक 12.10.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. अप्रार्थी संख्या 1/वादी ने एक वाद अधी0न्याया0 के समक्ष अंतर्गत धारा 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांटस के प्रस्तुत किया जिसके साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके कस्बा सरवाड़ के खसरा नंबर 1992 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा पर सायल वादी बशीर की खातेदारी है तथा प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई वास्ता सरोकार नहीं है । उपरोक्त भूमि की दक्षिण—पूर्वी दिशा में सायल ने एक मिट्टी की मेड डाल रखी है जो लगभग 1 फुट ऊंची थी । अप्रार्थी गैर सायल की नियत बद हो गयी है तथा अनाधिकृत तरीके से दिनांक 7.7.2009 को अपने परिवारजन सहित तोड़—फोड कर नष्ट कर दी तथा मना करने पर

बेदखल करने की धमकी देते है इसलिये अप्रार्थीगण गैर सायलान को ताफैसला वाद पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी/प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे तथा प्रार्थी को बेदखल नही करे । अधी0न्याया0 ने अप्रार्थीगण के उपस्थित होने पर उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 12.10.2012 को रेस्पो0 सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांटस को पाबंद कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 आदेश न्याय, नियम एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 में खसरा नंबर 1992 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा दर्ज है परन्तु बाद की जमाबंदियों में उपरोक्त खसरा नंबर 1992 का रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा दर्ज करवा लिया जो स्पष्टया त्रुटिपूर्ण है परन्तु अधी0न्याया0 ने उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखे बिना अपीलांटस को पाबंद किये जाने का विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि जब पूर्व की जमाबंदी में विवादित भूमि का रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा दर्ज था तो बाद की जमाबंदी में उपरोक्त भूमि का रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा किस आधार पर दर्ज किया गया । इस संबंध में वादी/रेस्पो0 द्वारा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये जाने के बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को पाबंद करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि राज0काश्त0अधि0 की धारा 212 के तहत प्रकरण का निस्तारण करते हुए प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू पूर्णतया निर्णित करना चाहिये था परन्तु अधी0न्याया0 ने उपरोक्त बिन्दुओं पर किसी प्रकार का कोई विवेचन अथवा विश्लेषण नहीं कर मात्र सरसरी तौर पर नॉन स्पीकिंग आदेश जैसा निर्णय पारित किया है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि खसरा नंबर 1992 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा दर्ज है परन्तु बाद की जमाबंदियों में उपरोक्त खसरा नंबर 1992 का रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा दर्ज दिया गया । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2059 से 2062 में विवादित आराजी खसरा नंबर 1992 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा दर्ज है । अपीलांटस का यह कथन कि पूर्व जमाबंदियों में विवादित आराजी का रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा दर्ज था तो जमाबंदी संवत् 2059 से 2062 में किस प्रकार रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा दर्ज हो गया है । खसरा नंबर 1992 का रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा है अथवा 4 बीघा 17 बिस्वा इसका निस्तारण तो मूल वाद में बाद साक्ष्य किया जावेगा किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि खसरा नंबर 1992 का रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा दर्ज होकर रेस्पो0 रिकार्डेड खातेदार होकर काबिज काश्त है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि रिकार्डेड खातेदार की आराजी में अन्य व्यक्ति द्वारा दखल किये जाने पर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है । अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में अपीलांटस को अस्थाई निषेधाज्ञा

से पाबंद किया है जिसमें हमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

6. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2012 यथावत् रखा जाता है ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 25.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर